

प्रेस नोट –

थाना बरुआसागर

दिनांक- 22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध, अपराधियों एवं अवैध शराब के विरुद्ध जनपद झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 22.01.2025 थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्ता रवीता पत्नी बुच्ची कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष नि० तेन्दौल डैरा थाना बरुआसागर जिला झाँसी को 20 ली० अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर थाना बरुआसागर पर 16/2025 धारा धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का पंजीकृत किया गया।

मु०अ०सं० –

मु०अ०सं०-16/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्ता –

रवीता पत्नी बुच्ची कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष नि० तेन्दौल डैरा थाना बरुआसागर जिला झाँसी

बरामदगी – कुल 20 ली० अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान – मंसल माता मैदान महुआ के पेड के नीचे कस्बा व थाना बरुआसागर

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि०/कर्म गण का नाम-

1. उ०नि० श्री सहदेव सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
2. म०का० 1819 मनीषा सरोज थाना बरुआसागर जिला झाँसी।